रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2015/आश्विन 23, 1937
No. 2260] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2015/ASVINA 23, 1937

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2015

का. आ. 2837(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद इसमें 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ XLIX अपर सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, बंगलुरू सिटी को 07 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 31 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 78 (अ) के द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण कर्नाटक राज्य था;

और, जबकि, श्री शिवन्ना, XLVIII अपर सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बंगलुरू सिटी जिन्हें दिनांक 29 जनवरी, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 282 (अ) के द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 282 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, कर्नाटक, बंगलुरू उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्द्वारा श्री मुरलीधर पाई बी, XXXVIII अपर सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतदद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस- IV (भाग-I)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Divison)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2015

S.O. 2837(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S. O. 78 (E) dated the 31st December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th January, 2013, notified the Court of XLIX Additional City Civil and Sessions Judge, Bangalore City as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Karnataka for the trial of scheduled offences;

And whereas, Shri Shivanna, XLVIII Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S. O. 282 (E), dated 29th January, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 29th January, 2015, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 282 (E), dated the 29th January, 2015, except as regard to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Karnataka, Bengaluru, hereby appoints Sri Muralidhar Pai B., XXXVIII Additional City Civil & Sessions Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-I)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2015

का. आ. 2838(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद इसमें 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ एसपीई/सीबीआई-I/अपर जिला न्यायालय-III, एर्नाकुलम को दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 15 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2497 (अ) के द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण केरल राज्य था;

और, जबकि, श्री एम नन्द कुमार, अपर जिला न्यायाधीश, जिन्हें दिनांक 15 जून, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-(ii) में प्रकाशित दिनांक 15 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1565 (अ) के द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 15 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1565 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों

के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्वारा श्री एस. संतोष कुमार, अपर जिला न्यायाधीश-II, एर्नाकुलम को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतदद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV (भाग-I)]
एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2015

S.O. 2838(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S. O. 2497 (E) dated the 15th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th October, 2012, notified the SPE/CBI-I/Additional District Court-III, Ernakulam as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Kerala for the trial of schedule offences;

And whereas, Shri M. Nandakumar, Additional District Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S. O. 1565 (E), dated 15th June, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 15th June, 2015, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1565(E), dated the 15th June, 2015, except as regard things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Kerala, hereby appoints Shri S. Santosh Kumar, Additional District Judge-II, Ernakulam as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-1)]
M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.